

## **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 विन्दुओं की सूचना बस्ती परिक्षेत्र बस्ती**

1. परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकारी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
2. जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य— जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मानी गई सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।  
सहायक जनसूचना अधिकारियों की शक्तियाँ/कार्य— अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना, जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।
3. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करना या सूचनाएं प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।
4. विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।
6. दरतावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है।
  - कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उठप्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रा० पत्र।
  - पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
  - शासन/अन्य से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
  - अपीलीय प्रार्थना पत्र।
7. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
8. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
10. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
14. समर्त सूचनाएं नियमानुसार कम्प्यूटर में अद्यतन की जाती है।
15. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16. परिषेत्र स्तर पर जनसूचना अधिकारी/ सहायक जनसूचना अधिकारी के पद नाम एवं कार्यों का विवरण—

क्रम सं०	परिषेत्रीय जनसूचना अधिकारी	सहायक जनसूचना अधिकारी का पद
1	प्रधान लिपिक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक बरस्ती परिषेत्र बरस्ती।	गोपनीय सहायक / दायरक कार्यालय/ शिकायत प्रकोष्ठ, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक बरस्ती परिषेत्र बरस्ती।

17. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

*11/1/22*  
जनसूचना अधिकारी,  
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,  
बरस्ती परिषेत्र, बरस्ती।